

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०-.....163/2016-17.....

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
7.11.22	Covid-19 के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तनान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरू करें। अभिलेख दिनांक <u>8.12.22</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	
8.12.22	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सह-पठित -श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक रा०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआं खास भूमि (किस्म) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:- मौजा <u>च.रा.१४</u> थाना नं० <u>218</u> खाता सं० <u>38</u> प्लॉट सं० <u>26</u> रकबा <u>1.52</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म , अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द सं० <u>1</u> के पृष्ठ सं० <u>124</u> पर जमाबंदी रैयत <u>र.रा.५२1</u> <u>महो. निर. क. ४४४</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित	

मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.22 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

24.12.22 अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में शारदा देवी 24 न 28 करी 6125
मौजा पट्टाई सुमर 165491, लगान रसीद वर्ष 2011-12
समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 7.1.2023 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

7.1.23 अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा पट्टाई मौजा नं० 298 खाता सं० 38 प्लॉट सं० 26, रकबा 1.87 हे. किस्म — खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि भू-दान द्वारा कार्यालय, डालटनगंज, पलामू के द्वारा प्रपत्र-5 में प्राप्त है जिसका क्रम सं० 165491 है। उक्त भूमि का DCLR/SDO के द्वारा लगान निर्धारण नहीं हुआ है। तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अवैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष 2011-12 तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 12411 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - धरमपुर, धरमपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
<u>रमदास महेरा</u>	<u>भरई</u>	<u>298</u>	<u>28</u>	<u>26</u>	<u>1.00</u>	<u>गिरवपुर्जा</u>	<u>जमिंदारी</u>
<u>कल्याण महेरा</u>					<u>1.00</u>	<u>गिरवपुर्जा</u>	<u>जमिंदारी</u>

जोड़ का
बिल मूल्य
नहीं है।

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- स्थल

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- पंजी-II में संधारित वर्ष
है नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले
कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों
के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार
तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में
संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

कोई स्पष्ट विवरण
है नहीं है।

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी
के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(क) अनिवारित, सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष
(वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :- शरद्वरध भूदान कर
नमिरे 16549 (प्रपत्र 4)

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा
में अंकित मूल्य (100 रुपये से कम या इससे अधिक) :-

अथैष जाम्बवी की जाँच किरा राजरव अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वास्तविक रिटर्न से

(ख) अंगल / अनुमंडल में स्थापित यंदोयस्ती पंजी शे

(ग) वास्तुलं-स्वार्थिज/भू-उत्पादार्थण/नामांतरण पंजी से :-

वर्तमान सं. ११
पंजी - ११
मिन्ना विद्य

10. (क) अवैध जमाबंदी तथा दिनांक-01.01.1940 के पूर्व से कायम है :- *नहीं*

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार, द्वारा निर्गत जमीनदारी एसीब साल-दर-साल निर्गत है? :-

डादा

11. क्या दिनांक-01.01.1948 के बाद से 1955-58 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :-

०७४१.

12 वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड - बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

OTET

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जॉय प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :- प्रतिवेदित धूमि

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-
 मीजा - बरौंड ले बाला 28 प्लॉट 26 2क्यू 1.00 ए. के। मांग पुस.
 124/1 (शामदाश) मकानों 516 कन्स्ट्रिक्टेड ले नाल से माले पुन है, माले
 नाल के ले नाल के बोर्ड आबाद पुन लही है। माले धारी का थमि
 झारखंड असाव यज्ञ कमिटी ने द्वारा प्रपत्र 05 से प्रपत्र थ. 165 44।
 से प्राप्त है। उक्त थमि का LRD/SDO द्वारा लका लगाव विधायिका
 का संपुष्ट लही किया गया है। थमि पर माले धारी का लेख लेखा
 स्पष्ट लही है। मांग अगैव पसील होला है। अलः अगैव 2
 कारवाई हेतु जाँच प्रतिवेदन सादर समर्पित।
 मीर
 PDS

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

किसी निरीक्षक का स्थलायुक्त जांचकर्ता होना चाहिए।
 वायुमय उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिबिम्बित लोच प्रतिबिम्बित को जान
 किमा, सही, प्रमा। अतः उपरोक्त प्रभावों की वृद्ध करी गी
 अनुबन्ध किमा जला है।
 १/६

प्रंचल अधिकारी, भूमि-सुधार उप समिति,
छत्तरपुर। छत्तरपुर।

अनुमण्डल पदा.,
छत्तरपुर।

अपर समाहर्ता,
पलामू।

उपायुक्त,
पलामू ।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- रामदाश महतो S/O कन्होई महतो
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या I पृष्ठ सं. 124 पर कायम है।
3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- पंजी-II में बंधारित वर्ष दर्ज नहीं है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- डीरमजह्दा मालिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- अपक्ष विवरण दर्ज नहीं है।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :-
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी (भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) :-

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	4780052	8/1/12	8 2011-12

कम्यलिय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

याद अभिलेख सं० 163 / 2016-17 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950

सूचना

बनाम..... श्री. दी. श्री. महल

flur = $\frac{0.518}{2.521}$

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा.....चरीई..... थाना नं०.....248.....
खाता सं०.....358..... खेसरा नं०.....26..... रकबा.....100..... से संबंधित आपके नाम से
ह० नं०.....५..... के पंजी-II भाग1..... के पृष्ठ 124..... पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्ट्या राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।



अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

होना पादो

$$\frac{1}{410} 6293783664$$